Indian Constitution

आपातकालीन प्रावधान

* भारतीय संविधान द्वारा भारत के राष्ट्रपति को विशेष परिस्थितियों में राष्ट्रपति शासन लगाने की शक्ति प्रदान की गई है।
* भारतीय संविधान तीन तरह के राष्ट्रीय आपात काल का प्रावधान करता है।

(a) युद्ध, बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करना (Article-352)

(b) राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है यदि उस राज्य की संवैधानिक तंत्र विफल या नष्ट हो जाये -356 अथवा केन्द्र के दिशा-निर्देशों को पालन करने में असफल हो जाये -365

(c) यदि देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाये तो ऐसी परिस्थिति में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है।

* आपातकाल के दौरान केन्द्र सरकार सम्प्रभु हो जाती है। भारत का संघात्मक स्वरूप एकात्मक में परिणत हो जाता है। संघात्मक से एकात्मक में परिवर्तन भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है।
* 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा भारत में पंचायती राज संस्थाओं को कानूनी रूप दिया गया और इस प्रकार भारत में त्रिस्तरीय व्यवस्था की स्थापना हुई।

* 73वाँ संविधान संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों को संविधान में एक नया भाग IX और एक नया शिड्यूल 11 जोड़कर किया गया। 74वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग IXA तथा Schedule 12 जोड़कर किया गया।

Scanned By Scanner Go

- 97 वें संवैधानिक संशोधन द्वारा सहकारी संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।

(i) इनके द्वारा सहकारी समितियाँ बनाने का मौलिक अधिकार दिया गया।

(ii) इस संशोधन को संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्वों की सूची में 43-B के रूप जगह दी गई।

(iii) इसे संविधान के भाग IX-B में धारा 243ZH से लेकर 243ZT तक स्थान दिया गया।

क्रमशः

pol.sc (Hons)
part-II
paper-I

Dr. Rama Kant pandey
S.B.A.P College
Bara Chakiya

Scanned By Scanner Go